

मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना – 2004

1- शीर्षक :-

मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना 2004 लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी के औद्योगिक परियोजनाओं हेतु लागू होगी, जिनमें वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक को स्थाई पूँजी निवेश रूपये 1.00 करोड़ या उससे अधिक होगा ।

यह योजना राज्य में, रोजगार में वृद्धि, नवीन इकाईयों की स्थापना एवं नवीन पूँजी वैष्टन में अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है ।

2- योजना के प्रभावशील होने की अवधि :-

मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना 2004, दिनांक 01 अप्रैल 2004 से दिनांक 31.03.2009 तक मध्यप्रदेश में लागू होगी ।

3- परिभाषाएँ :-

- 3.1 "राज्य शासन" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य का शासन एवं "केन्द्रीय शासन" से अभिप्रेत है भारत सरकार ।
- 3.2 "विभाग" से तात्पर्य है मध्य प्रदेश शासन का वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग ।
- 3.3 "जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र" से आशय होगा म.प्र. शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग का जिला स्थित कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ।
- 3.4 "औद्योगिक इकाई" से अभिप्रेत है कि लघु/मध्यम/वृहद श्रेणी की ऐसी औद्योगिक परियोजना, जिसकी स्थापना हेतु संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से प्रस्तावित/ स्थायी पंजीयन/ भारत सरकार उद्योग मंत्रालय से आशयपत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट)/ औद्योगिक लायसेंस/ आई. ई. एम. अभिस्वीकृति पत्र प्राप्त किया गया है एवं जो मध्य प्रदेश राज्य की सीमा में स्थापित है ।
- 3.5 "पंजीकृत व्यापारी" से तात्पर्य होगा कि ऐसा व्यापारी/डीलर जो यथा लागू म.प्र. वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 एवं केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत हो ।
- 3.6 "इकाई" से तात्पर्य नई औद्योगिक इकाई अथवा विद्यमान औद्योगिक इकाई से है ।
- 3.7 (अ) "नई औद्योगिक इकाई" से अभिप्रेत है, म.प्र. राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत व्यापारी द्वारा किसी भी माल के उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित औद्योगिक इकाई, जिसने मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड से इस योजना अंतर्गत पंजीयन प्राप्त किया हो व इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक स्थिर अस्तियों में कंडिका 6 में दर्शाये अनुसार रूपये 1.00 करोड़ से अधिक पूँजी वैष्टन हो एवं जिसने 01 अप्रैल 2004 को या उसके पश्चात् लेकिन दिनांक 01/04/2009 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो ।

(ब) "विद्यमान औद्योगिक इकाई" से आशय ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसने दि. 01.04.2004 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो ।

- 3.8 विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन/ आधुनिकीकरण से तात्पर्य है ऐसी इकाई जिसमें पूर्व में किये गये स्थायी पूँजी निवेश के 50 प्रतिशत, न्यूनतम रूपये 5.00 करोड़ के निवेश से,

विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन कर क्षमता विस्तार/नवीन आइटम का उत्पादन/तकनीकी उन्नयन किया हो एवं जिसने मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड से इस योजना अंतर्गत पंजीयन प्राप्त किया हो व इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन/ आधुनिकीकरण के लिए स्थिर आस्तियों में रूपये 5.00 करोड़ या उससे अधिक पूंजी वैष्टन किया हो एवं जिसने 01 अप्रैल 2004 को या उसके पश्चात् लेकिन दिनांक 01/04/2009 के पूर्व विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन/ आधुनिकीकरण के लिए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो।

स्पष्टीकरण :-

- 3.8.1 पंजीयन प्राप्त इकाई जिसमें पूर्व स्थापित उद्योग द्वारा क्षमता विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन पर यदि पूर्व में किए गए स्थाई पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत के तुल्य या अधिक नया स्थाई पूंजी निवेश किया गया हो तो ऐसी इकाईयों को अतिरिक्त क्षमता विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन अन्तर्गत किए गए पूंजी निवेश पर नई इकाईयों के समान "उद्योग निवेश संवर्धन सहायता" दी जावेगी, किन्तु विद्यमान इकाई में अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश कम से कम रूपये 5.00 करोड़ होना अनिवार्य होगा।
- 3.8.2 विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा अपनी औसत उत्पादन क्षमता, जो कि विगत तीन वर्षों के उत्पादन के औसत आधार पर आंकलित की जावेगी, से अधिक होने वाले उत्पादन पर ही सुविधा का लाभ दिया जावेगा। जिन इकाईयों द्वारा पूर्व में स्थापित अपनी उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया हो, उन्हें विस्तार योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी इकाई का औसत उत्पादन/पंजीकृत क्षमता जो भी अधिक हो, के विक्रय माल पर जमा कर के विरुद्ध योजनान्तर्गत सहायता राशि प्राप्त नहीं होगी।
- 3.9 "स्थिर आस्तियों में पूंजी निवेश" से अभिप्रेत है, इकाई के कारखाना परिसर में भूमि, भवन एवं प्लांट मशीनरी, विद्युत संस्थापनाएं और प्रदूषण निवारण उपस्करों में किया गया निवेश। प्रिऑपरेटिव एवं प्रिलिमिनरी" व्यय इसमें सम्मिलित नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण :-

- 3.9.1 भूमि के अन्तर्गत निर्मित क्षेत्र 1000 वर्गमीटर से कम होने पर 3 गुना एवं अधिक होने पर दोगुना भूमि पर किया गया पूंजी निवेश मान्य होगा। प्रदूषण मानकों के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त की गयी भूमि का निवेश भी गणना हेतु मान्य होगा। भूमि विकास शीर्ष के अन्तर्गत भूमि एवं भवन पर किये गये कुल व्यय का अधिकतम 10 प्रतिशत मान्य होगा। भवन के अन्तर्गत फ़ैक्ट्री शेड एवं फ़ैक्ट्री परिसर में स्थित गोडाउन, प्रयोगशाला भवन, प्रशासनिक भवन, रेल्वे साइडिंग सम्मिलित होंगे।
- 3.9.2 स्थिर आस्तियों में प्लांट एवं मशीनरी अन्तर्गत किए जाने वाले पूंजी निवेश में उत्पादक इक्यूपमेंट जैसे— जिग्स, टूल्स, डाईज, मोल्ड्स विद्युत संस्थापनाएं और प्रदूषण निवारण उपस्करों में किया गया निवेश सम्मिलित होगा, किन्तु पुराने प्लांट एवं मशीनरी/प्रदूषण निवारण उपस्करों में किया गया पूंजी निवेश सम्मिलित नहीं होगा।
- 3.9.3 अन्य स्थिर आस्तियों जैसे—प्रयोगशाला तथा अनुसंधान के लिए मशीनरी तथा उपकरण, स्टोरेज टैंक आदि पर किया गया व्यय गणना में सम्मिलित किया जाएगा।
- 3.9.4 स्थायी पूंजी निवेश की गणना हेतु, 1.00 करोड़ या उससे अधिक की, परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 3 वर्ष तक किये गये व्यय सम्मिलित किये जावेंगे।

3.10 "वाणिज्यिक कर" से तात्पर्य है म.प्र. वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 के अन्तर्गत पंजीकृतव्यापारी द्वारा मध्य प्रदेश में उत्पादित माल के विक्रय पश्चात् कर के रूप में जमा की गई राशि, जिसमें उत्पादन हेतु क्रय किये गये कच्चेमाल के क्रयकर के भुगतान की गई राशि सम्मिलित नहीं होगी ।

म.प्र. वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 के स्थान पर मूल्य सवर्द्धन कर (Vat) लागू होने पर केवल "वाणिज्यिक कर" के रूप में जमा की गई राशि कर के रूप में मान्य होगी ।

3.11 "केन्द्रीय विक्रय कर" से तात्पर्य है कि केवल म.प्र. में उत्पादित माल के अन्तर्राज्यीय विक्रय पर चुकाये गये केन्द्रीय विक्रय कर से है ।

3.12 "सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग" से तात्पर्य है मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित आई.टी. पार्क (सूचना प्रौद्योगिकी पार्क) में स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग ।

3.13 "मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड" (ट्राइफेक) से तात्पर्य मध्य प्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग का एकल खिड़की प्रणाली योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित राज्य/शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति के सचिवालय के रूप में गठित उपक्रम (लिमिटेड कम्पनी), जिसका मुख्यालय भोपाल, मध्य प्रदेश में है, से है ।

3.14 "पंजीयन" से तात्पर्य प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस योजनान्तर्गत इकाई की पात्रता निर्धारण हेतु किये जाने वाले पंजीयन से है ।

4- योजना की प्रभावशीलता एवं विस्तार :-

उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना की प्रभावशीलता प्रायवेट सेक्टर, संयुक्त क्षेत्र की कंपनी द्वारा दिनांक 01.04.2004 के पश्चात् एवं दिनांक 31.03.2009 के पूर्व प्रदेश में स्थापित होने वाले लघु/मध्यम/वृहद् श्रेणी के नवीन उद्योग अथवा स्थापित उद्योग के विस्तार, डायवर्सिफिकेशन एवं तकनीकी उन्नयन के लिए है ।

5- विकसित एवं पिछड़े जिलों का वर्गीकरण :-

इस योजना के अन्तर्गत मात्रा एवं अवधि का निर्धारण करने के लिये प्रदेश के जिलों का वर्गीकरण मध्य प्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा किये जाने वाले अग्रणी जिला (विकसित जिला), पिछड़ा जिला श्रेणी 'अ', श्रेणी 'ब', श्रेणी 'स' के अन्तर्गत रखे जाने वाले जिलों के अनुसार मान्य किया जावेगा ।

उक्त वर्गीकरण राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अन्तर्गत परिवर्तनीय होगा ।

6- सहायता की मात्रा एवं अवधि :-

6.1 रूपये 1.00 करोड़ से 10.00 करोड़ तक स्थायी पूँजी निवेश वाले उद्योगों को उनके द्वारा जमा किये गये वाणिज्यिक कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर की राशि (जिसमें कच्चेमाल के क्रय पर दिये गये वाणिज्यिक कर सम्मिलित नहीं हैं) की 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य राशि उद्योग निवेश संवर्द्धन सहायता के रूप में दी जाएगी। यह सहायता राशि इकाई के वाणिज्यिक कर खातों में आगामी वर्ष में विमुक्त की जावेगी । इस हेतु विभाग के बजट में प्रावधान किया जाएगा। यह अग्रणी जिलों में 3 वर्ष के लिए एवं पिछड़े जिलों में 5 वर्षों के

लिए दी जाएगी। कुल सहायता राशि स्थिर आस्तियों में किये गये पूँजी निवेश से अधिक नहीं होगी।

6.2 रुपये 1.00 करोड़ से रू0 10.00 करोड़ से अधिक स्थिर आस्तियों में स्थायी पूँजी वैष्टन करने वाली इकाईयों को उनके द्वारा जमा किये गये वाणिज्यिक कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर राशि (जिसमें कच्चेमाल के क्रय पर दिये गये वाणिज्यिक कर सम्मिलित नहीं हैं) की 75 प्रतिशत राशि के समतुल्य राशि उद्योग निवेश संवर्द्धन सहायता के रूप में निम्नानुसार दी जाएगी। यह सहायता राशि इकाई के वाणिज्यिक कर खातों में आगामी वर्ष में विमुक्त की जावेगी। इस हेतु विभाग के बजट में प्रावधान किया जाएगा। कुल सहायता राशि स्थिर आस्तियों में किये गये पूँजी निवेश से अधिक नहीं होगी।

क्र०	जिले की श्रेणी	न्यूनतम पात्र स्थायी पूँजी वैष्टन (रू० करोड़ में)	सहायता की अवधि
1.	2.	3.	4.
1.	अग्रणी जिला	25	3 वर्ष
2.	पिछड़ा जिला 'अ'	20	5 वर्ष
3.	पिछड़ा जिला 'ब'	15	7 वर्ष
4.	पिछड़ा जिला 'स'	10	10 वर्ष

अग्रणी जिला, पिछड़ा जिला 'अ' एवं पिछड़ा जिला 'ब' में रुपये 10.00 करोड़ से अधिक किन्तु उल्लेखित न्यूनतम पात्र स्थायी पूँजी वैष्टन से कम स्थिर आस्तियों में पूँजी निवेश करने वाली इकाईयों को अधिकतम 5 वर्ष की अवधि में कुल सहायता राशि स्थिर आस्तियों में किये गये पूँजी निवेश से अधिक नहीं होगी।

6.3 सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए उपरोक्त सहायता केवल "आई.टी. पार्क" में ही उपलब्ध कराई जाएगी, अन्यत्र नहीं। आई.टी. पार्क से आशय ऐसे आई.टी. पार्क से है जो राज्य शासन द्वारा घोषित किये गये हों।

6.4 उद्योग निवेश संवर्द्धन सहायता की गणना करने के लिए विक्रय/वाणिज्यिक कर से अभिप्रेत है कि, इकाई द्वारा मध्यप्रदेश में उत्पादित तैयार उत्पाद पर की गई बिक्री पर विक्रय/वाणिज्यिक कर का भुगतान, जिसमें इकाई द्वारा क्रय किये गये कच्चे माल के लिए भुगतान किये गये कर की राशि सम्मिलित नहीं है। इकाई को उद्योग निवेश संवर्द्धन सहायता ऐसे उत्पाद के बारे में उपलब्ध नहीं होगी, जोकि इकाई के स्वयं के द्वारा उत्पादित नहीं है। इकाई को दी जाने वाली उद्योग निवेश संवर्द्धन सहायता राशि की गणना हेतु उसके द्वारा जमा की गई कर राशि उस वर्ष हेतु इकाई के कर निर्धारण आदेश की राशि के 50 प्रतिशत/75 प्रतिशत तक पात्रतानुसार सीमित रहेगी।

7. योजनान्तर्गत इकाई की पात्रता:-

योजनान्तर्गत इकाई की पात्रता निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

7.1 नयी औद्योगिक इकाई अथवा विद्यमान औद्योगिक इकाई।

7.2 इकाई का स्थिर आस्तियों में पूँजी निवेश कण्डिका 6 में दर्शाये अनुसार रूपये 1.00 करोड़ या उससे अधिक हो अथवा विद्यमान इकाई द्वारा विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन में कम से कम रूपये 5.00 करोड़ और पूर्व स्थाई निवेश का 50 प्रतिशत से अधिक पूँजी निवेश हो।

7.3 इकाई को प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल से इस योजनान्तर्गत पंजीयन प्राप्त हो।

7.4 इकाई जिसने जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अथवा मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के कार्यालय में दिनांक 31.03.2007 के पूर्व आवेदन प्रस्तुत कर दिया हो व योजनान्तर्गत पंजीयन प्राप्त कर लिया हो एवं दिनांक 01.4.2009 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया हो। दिनांक 31.03.2009 के पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने वाली इकाईयां योजनान्तर्गत सहायता प्राप्ति हेतु पात्र नहीं होंगी।

7.5 औद्योगिक इकाई होकर पंजीकृत व्यापारी हो।

8. योजना का क्रियान्वयन एवं भुगतान प्रक्रिया :-

(अ) पंजीयन की प्रक्रिया :-

8.1. जिला स्तर पर रूपये 1.00 करोड़ से 3.00 करोड़ तक के स्थाई पूँजी निवेश वाली इकाईयों के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रपत्र-1 में महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्राप्त किये जावेंगे एवं पंजीयन जारी करने के लिए प्राप्त आवेदन पत्र म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. भोपाल को चेक लिस्ट अनुसार आवेदन प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर अग्रेषित किये जावेंगे।

8.2. रूपये 3.00 करोड़ से अधिक पूँजी निवेश वाली इकाईयों पंजीयन हेतु प्रपत्र-1 में आवेदन-पत्र सीधे प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. भोपाल को प्रेषित करेंगी।

8.3. पात्र इकाई का पंजीयन प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल द्वारा प्रपत्र-2 में जारी किया जाएगा।

8.4 योजना के अंतर्गत दिनांक 31.03.2007 तक कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को ही पंजीयन के लिए विचारार्थ लिया जावेगा।

8.5 योजनान्तर्गत पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तावित परियोजना की स्थिति में किया जावेगा तथापि म.प्र. उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना-2004 की शासन द्वारा स्वीकृति दिनांक से 60 दिवस के भीतर, दिनांक 01-04-2004 या उसके पश्चात् स्थापित होने वाली इकाईयां अथवा जिन इकाईयों ने योजना की स्थापना हेतु प्रभावी कदम ले लिये हैं, वे पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर पंजीयन प्राप्त कर सकेंगे।

8.6 इकाई राष्ट्रीय/केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंक अथवा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं से प्रकरण की स्थिति अनुसार अनुमोदित अथवा स्वीकृत हो। स्व-वित्त पोषित होने की स्थिति में एवं इकाई के वित्तीय प्रावधान संतोषप्रद होने की स्थिति में, आवश्यकतानुसार परियोजना

का परीक्षण आई.डी.बी.आई. अथवा एम.पी.एफ.सी. जैसी वित्तीय संस्थाओं से कराने के उपरांत इकाई का पंजीयन किया जा सकेगा ।

(ब) निवेश संवर्धन सहायता राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

8.7. निवेश संवर्धन सहायता राशि प्राप्त करने हेतु इकाई को प्रपत्र-5 में आवेदन करना होगा । रूपये 1.00 करोड़ से 3.00 करोड़ तक के पूंजी वैष्टन वाली इकाईयों को महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को मय सभी सहपत्रों के आवेदन प्रस्तुत करना होगा । महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर एवं स्थल निरीक्षण उपरांत प्रकरण **जिला स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति** के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे ।

इस समिति के निम्नानुसार सदस्य होंगे :-

- | | |
|---|------------|
| 1. जिला कलेक्टर | अध्यक्ष |
| 2. संयुक्त संचालक, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय | उपाध्यक्ष |
| 3. उपायुक्त, वाणिज्यिक कर/उनका प्रतिनिधि,
जो विक्रयकर अधिकारी स्तर से कम न हो. | सदस्य |
| 4. प्रबंध संचालक, म.प्र. औद्योगिक केंद्र विकास निगम
अथवा उनका प्रतिनिधि, जो उप संचालक उद्योग
स्तर से कम न हो. | सदस्य |
| 5. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र | सदस्य सचिव |

8.8. रूपये 3.00 करोड़ से अधिक निवेश वाली इकाईयों को प्रपत्र-5 में महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को दो प्रतियों में आवेदन करना होगा, जिसकी सूचना इकाई द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल को प्रेषित करेगी । प्रस्तुत पत्रों एवं तथ्यों का सत्यापन संबंधित जिले के महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा किया जावेगा । यह सत्यापन महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र 15 दिवस में अनिवार्य रूप से करके, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को आवश्यक रूप से अपनी अनुशंसा सहित प्रेषित करेंगे । इसके उपरांत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रकरण **राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति** के समक्ष विचारार्थ रखा जावेगा । यह समिति प्रकरण पर आवश्यक निर्णय ले सकेगी ।

राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति के निम्नानुसार सदस्य होंगे

- | | | |
|--|------------|-------|
| 1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार | अध्यक्ष | |
| 2. प्रमुख सचिव/प्रतिनिधि, म.प्र. शासन, वित्त विभाग | | सदस्य |
| 3. प्रबंध संचालक, म.प्र. स्टेट इण्ड. डेव्हलपमेंट कार्पो. लिमि. | सदस्य | |
| 4. उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, म.प्र. | | सदस्य |
| 5. आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र./अपर आयुक्त | सदस्य | |
| 6. प्रबंध संचालक,म.प्र.ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पो.लिमि. | सदस्य सचिव | |

- 8.9. प्रपत्र-5 में इकाई द्वारा दिनांक 31 मार्च को समाप्त होने वाले प्रथम वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 90 दिवस में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा। द्वितीय वर्ष से वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी कर निर्धारण आदेश दिनांक से 60 दिवस की अवधि में प्रपत्र-5 में इकाई को आवेदन करना अनिवार्य होगा। विलंब होने की दशा में जिला/राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति विलंब अवधि को उपयुक्त कारण को दृष्टिगत रखते हुये शिथिल कर सकेगी।
- 8.10. इकाई संबंधित वाणिज्यिक कर अधिकारी, को निर्धारित प्रपत्र-3 में आवेदन कर विगत वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए वाणिज्यिक कर के प्रमाणीकरण हेतु आवेदन करेगी। ऐसा आवेदन इकाई को प्रत्येक वर्ष करना होगा।
- 8.11. इकाई का आवेदन प्राप्त हो जाने के उपरांत सामान्यतः 15 दिवसों में संबंधित वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा विगत वर्ष में भुगतान किए गए विक्रय/वाणिज्यिक कर एवं अन्य सुसंगत तथ्यों का प्रमाणीकरण कर इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रपत्र-4 में जारी किया जावेगा तथा यह प्रमाण-पत्र इकाई द्वारा मूल आवेदन प्रकरण के साथ संलग्न किया जावेगा।
- 8.12. प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, विगत वर्ष में इकाई के द्वारा भुगतान की गई विक्रय/वाणिज्यिक कर की उक्त जानकारी/प्रमाण-पत्र एवं महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र की अनुशंसा प्राप्त हो जाने पर, इसके उपरांत संतुष्ट होने पर उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत करने हेतु प्रकरण को राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रूपये 1.00 करोड़ से 3.00 करोड़ पूंजी वैष्टन वाली इकाईयों के प्रकरण जिला स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे।
- 8.13.. जिला/राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति द्वारा प्रकरण स्वीकृति पश्चात् महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड प्रपत्र क्रमांक-6 (अ)/6(ब) पर यथा प्रकरणानुसार स्वीकृति आदेश जारी करेंगे। स्वीकृति आदेश अनुसार राशि विमुक्त करने के पूर्व महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ प्रपत्र क्रमांक-7 पर इकाई के साथ अनुबंध निष्पादित करेंगे। तदोपरांत स्वीकृत राशि को बैंकर्स चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा इकाई विशेष के वाणिज्यिक कर खाते में जमा किया जायेगा। ऐसा भुगतान संबंधित वाणिज्यिक कर अधिकारी को इकाई के लिए वर्ष में एक बार किया जावेगा।
- 8.14. इकाई द्वारा प्राप्त चेक की पावती ही उद्योग निवेश संवर्धन सहायता के रूप में प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र होगा।
- 8.15. यह प्रणाली इकाई के पक्ष में उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता अवधि के वर्षों तक अथवा इकाई की सहायता की अधिकतम सीमा/समिति द्वारा मान्य समय-सीमा अर्थात् स्थिर आस्तियों में पूंजी निवेश तक की सीमा (जो भी पहले समाप्त हो) तक जारी रहेगी।

- 8.16 इकाई द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग में प्रथम वर्ष में जमा की गई राशि के रिटर्न के आधार पर उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की राशि पात्रतानुसार स्वीकृत की जावेगी। द्वितीय वर्ष से यह राशि पूर्ववर्ती वर्ष के वास्तविक कर निर्धारण आदेश के आधार पर ही स्वीकृत की जावेगी। कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध यदि इकाई द्वारा कोई वाद/अपील दायर की जाती है तो केवल विवादित राशि पर कोई सहायता राशि देय नहीं होगी, जब तक कि उसका अंतिम निराकरण नहीं हो जाता। केवल अविवादित राशि के विरुद्ध सहायता राशि स्वीकृत की जा सकेगी। पात्रता के अंतिम वर्ष में सम्पूर्ण अवधि के फाइनल कर निर्धारणों के आधार पर, या पात्रता अवधि के किसी वर्ष में दायर अपील/वाद आदि के कारण कर राशि कम या अधिक होती है तो अंतिम रूप से राशि स्वीकृति के पूर्व दायर अपील/वाद के अंतिम कर निर्धारण आदेश अनुसार राशि का समायोजन किया जाएगा। अपील/वाद के अंतिम निराकरण तक पात्र कालावधि के अंतिम वर्ष में राशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।
- 8.17 सहायता की राशि जिस वर्ष के देय वाणिज्यिक कर में समायोजित की जाना है, उस वर्ष के देय वाणिज्यिक कर की सीमा से अधिक होने पर शेष राशि समायोजित न की जाकर, आगामी अवधि के लिए वाणिज्यिक कर अधिकारी के द्वारा क्रेडिट के रूप में रखी जा सकेगी। योजना के अंतिम वर्ष में भी यदि कोई राशि समायोजन के पश्चात् शेष रहती है तो ऐसी राशि की सहायता की पात्रता इकाई को नहीं होगी, अर्थात् ऐसी शेष धनराशि वाणिज्यिक कर विभाग/वाणिज्यिक अधिकारी द्वारा शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।
- 8.18. म.प्र. वाणिज्यिक कर अधिनियम-1994 अथवा केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम 1956 के अधीन वाणिज्यिक कर विभाग को विक्रयकर भुगतान की देयता के संबंध में दोषी होने की स्थिति में अथवा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के ड्यूज बकाया होने की स्थिति में इकाई का प्रकरण विचारित नहीं किया जाएगा।
- 8.19. उद्योग निवेश संवर्द्धन सहायता राशि जिला/राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्द्धन सहायता समिति से स्वीकृति उपरांत चेक वितरण में बजट में प्रावधान के अभाव में अथवा किसी भी अन्य कारण से विलम्ब पर ब्याज देय नहीं होगा।
- 8.20. इकाई द्वारा सहायता राशि हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने के दिनांक को इकाई का कार्यरत रहना अनिवार्य होगा एवं इकाई को सहायता अवधि तथा इसके पश्चात् आगामी 5 वर्षों तक चालू रखा जाना अनिवार्य होगा। इस अवधि में इकाई के 6 माह से अधिक अवधि तक बंद होने की स्थिति में इकाई को दी गई संपूर्ण सहायता राशि भू राजस्व की बकाया वसूली की तरह इकाई से वसूल की जावेगी।

9. संशोधन, शिथिल/निरसन की शक्तियाँ :-

उद्योग निवेश संवर्द्धन सहायता योजना 2004 के प्रावधानों के होते हुए भी मध्य प्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग किसी भी समय –

- 9.1 इस योजना को संशोधित अथवा निरस्त कर सकेगा, किन्तु मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के माध्यम से पंजीयन की गई इकाई, जिसके द्वारा दिनांक 31.03.2009 के पूर्व उत्पादन प्रारंभ कर दिया हो, उक्त संशोधन अथवा निरसन से प्रभावित नहीं होगी।

9.2 इस योजना के प्रावधानों को लागू करने में शिथिलीकरण कर सकेगा। किन्तु यह शिथिलीकरण पंजीयन किए गए परियोजना/इकाई विशेष के गुणों के आधार पर राज्य शासन के द्वारा आवश्यक एवं उपयुक्त पाया जाने पर किया जा सकेगा।

9.3 योजनान्तर्गत क्रियान्वयन को सुगम बनाने की दृष्टि से अथवा विसंगति दूर करने एवं योजना के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रसारित कर सकेगा।

10. योजना के अन्तर्गत अपात्र औद्योगिक इकाईयाँ:-

म.प्र. शासन वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अपात्र उद्योगों की सूची में वर्णित उद्योग इस योजना के लिए अपात्र होंगे।

11. अपील :-

11.1. जिला स्तरीय उद्योग निवेश संवर्द्धन सहायता समिति के किसी निर्णय के विरुद्ध अपील राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्द्धन सहायता समिति को की जा सकेगी।

11.2. राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्द्धन सहायता समिति के किसी निर्णय के विरुद्ध अपील मध्य प्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग को की जा सकेगी।

प्रत्येक स्थिति में जिला/राज्य उद्योग निवेश संवर्द्धन सहायता समिति के निर्णय की सूचना प्राप्ति के 30 दिवस में अपील प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय होगा।

13. निरसन एवं व्यावृत्ति :-

मध्यप्रदेश वाणिज्य कर अधिनियम 1994 किसी अन्य अधिनियम से प्रतिस्थापित होने की स्थिति में, इस योजना के प्रावधान, आवश्यक परिवर्तनों सहित, यथा परिवर्तित रूप में नया अधिनियम लागू हो जाने पर भी प्रभावशील होंगे।

{कंडिका क्रमांक 4.2.15}

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक एफ-20/63/2005/बी/ग्यारह

भोपाल,दिनांक 13.07.05

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश भोपाल।

विषय:- उद्योग संवर्धन नीति 2004 एव कार्य योजना का बिन्दु क्रमांक 4.2.15
—मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना—2004.

संदर्भ:- वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग का समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 25.2.2005

वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग का समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 25.2.2005 को अधिकृत करते हुए उद्योग संवर्धन नीति 2004 एव कार्य योजना बिन्दु क्रमांक 4.2.15 में लिए गए निर्णयानुसार मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना—2004 संलग्न प्रेषित है।

- 2/ इस विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 25.2.2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण संलग्न योजना के अन्तर्गत होगा।
- 3/ कृपया योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
- 4/ वित्त विभाग ने यू.ओ. क्रमांक 440/आर 887/ब-2 दिनांक 24.6.2005 द्वारा सहमति दी है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता./
(विश्वपति त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग

पृ०कमांक एफ-20-63/04/बी/ग्यारह

भोपाल,दिनांक 13.07.05

प्रतिलिपि:-

- 1/ प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की ओर महालेखाकार ग्वालियर को पृष्ठांकित करने हेतु ।
- 2/ महालेखकार,(लेखा एवं हकदारी) ग्वालियर मध्य प्रदेश ।
- 3/ महालेखकार,(लेखा एवं परीक्षा) ग्वालियर मध्य प्रदेश ।
- 4/ प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यक कर विभाग ।
- 5/ प्रबंध संचालक,एम.पी.स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्ह०कार्पो०लि०भोपाल
- 6/ प्रबंध संचालक,एमपी ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पो०लि०भोपाल ।
- 7/ समस्त महाप्रबंधक,जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र..... मध्यप्रदेश ।
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

हस्ता./
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग

Revised Form No. 1

Application form for Registration under
Madhya Pradesh Udyog Nivesh Samvardhan Sahayata Yojana - 2004
(To be submitted in duplicate)

1. (a)	Name of the applicant Industrial Unit	:	
(b)	Factory Address	:	
	Telephone No.	:	
	Fax No.	:	
	e-mail address	:	
(c)	Address of the Registered Office	:	
	Telephone No.	:	
	Fax No.	:	
	e-mail address	:	
(d)	Name and Designation of the contact person	:	
	Telephone No.	:	
	Fax No.	:	
	e-mail Address	:	
(e)	Details of Fixed Assets/Property (Please write address specifically of property location or enclose a separate sheet)	:	
(i)	Assets/property in the name of Company/Firm.	:	
(ii)	Assets/property in the name of directors/Partners of Company/Firm	:	
2.	Whether the Project (against which the application for registration is	:	

	being made) is for (Please write specifically)		
(a)	Establishment of a new unit	:	
(b)	Expansion project in the existing unit (expansion/diversification/technology upgradation.	:	
(c)	Expansion project in a new Location		
3. (a)	Constitution: Public Ltd./ Private Ltd.Co. /Co-operative Society /Partnership Firm	:	
(b)	Date of incorporation/ Registration of the Company/Co-operative Society	:	
4.	Location/address of the unit		
(a)	Location of the project against which the Registration is sought	:	
	Name of the Location	:	
	Police Station	:	
	Municipality/Block	:	
	Post Office	:	
	District	:	
	Telephone No.	:	
	Fax No.	:	
(b)	Location of other units(if any) in Madhya Pradesh		
	Location	:	
	District	:	
5.	Project Cost: (Copy of project report be enclosed)		

5.1 (A) For New Units

(Rs. In lakhs)

Particulars	Estimated cost
Land	
Site Development (maximum 10% of cost of Land & Building is permissible)	
Building	
Plant and machinery	
Electrical Installation	
Pollution Control Equipments	
Misc. fixed assets	
Total Fixed Assets	
Preliminary and preoperative expenses	
Margin money for working capital	
Grand Total	

5.1 (B) Means of finance

(Rs. In lakhs)

Particulars	Proposed Amount
Share capital/own funds	
Terms Loan from Financial Institutions/Banks	
Unsecured Loans	
Other (if any)	
Total	

5.2 (A) For Expansion/Diversification/Technology Upgradation Scheme:

(Rs. In lakh)

Particulars	Investment in existing unit As on the last day of preceding financial year Please refer rule 3.8.1 (ब)	Proposed Investment in Expansion/Diversification /Technology Upgradation	Total Investment
Land			
Site Development (maximum 10% of Cost of Land & Building)			
Building			
Plant and machinery			
Electrical Installation			
Pollution Control Equipments			
Investment in Technology Upgradation			
Misc. fixed assets			
Total Fixed Assets			
Preliminary and preoperative expenses			
Margin money for working capital			
Grand Total			

5.2 (B) Means of Finance

(Rs.in lakhs)

Particular	Proposed Amount
Share capital/Own funds	
Term Loan from Financial Institutions/Banks	
Unsecured Loans	
Other (if any)	
Total	

6. Name of proposed items of manufacture & annual capacity

(for which Registration is sought)

6.1 For New Units

No.	Name of Item	Annual Capacity	Estimated Annual Sales Realization (in Rs. lakhs)	Estimated payable amount of Tax Amount (MPCT / VAT + CST) (in Rs. lakhs) in which tax on raw material is not included

6.2 In case of expansion/diversification/ technology upgradation

No.	Name of Item	Existing Annual Capacity or Average Production of last 3 years (which ever is more) refer rule 3.8.2 (ब)	Proposed Additional/ New Capacity for expansion/ diversification/ Technology up gradation	Total Annual Capacity	Estimated Sales Realization from additional capacity/ new capacity for one year	Estimated payable of Tax Amount to be Paid (MPCT / VAT + CST) for additional/ new capacity, in which tax paid on raw material purchased is not included

7. (A)	Provisional SSI Registration No. & Date	:	
(B)	Permanent SSI Registration No. & Date	:	
8.	Number and date of IEM issued by Govt. of India Secretariat for	:	

	Industrial Approval/ Letter of intent/Industrial Licence/Other approval		
9.	Power requirement (KVA)	:	
10.	Employment Potential in the project		
(a)	Managerial	:	
(b)	Factory workers	:	
(c)	Other workers	:	
(d)	Total	:	
11.	Whether the location conforms to Pollution Control Board norms If yes, write consent No. and date		
(a)	Under air pollution act	:	
(b)	Under water pollution act	:	
12.	Estimated daily requirement of water and source of supply	:	
13.	Registration under MPCT Act 1994/ VAT Act 2002 & CST Act 1956 (copy enclosed)	:	
14.	Likely date of commissioning of the production	:	

CERTIFIED that the statement in the application are true to the best of my knowledge and belief.

Signature of the applicant

Name and Status of the Signatory

Seal of the Industrial unit.

Place:

Date:

Annexure

- (a) A copy of the Registration with Memorandum and Articles of Association issued by the Registrar of Companies.
- (b) A Statement of the Name and Residential Address of the Director/partners /owners of the company, including telephone no., fax no. & e-mail addresses.
- (c) A copy of the Acknowledgement Reference No. by SIA/Letter of intent/ Industrial licence/other Government of India approval/SSI Registration No.
- (d) A Project report- including pollution control measures envisaged.
- (e) Photocopy of sanction letter from the Central Financial Institution/State Financial Institution/Bank etc. sanctioning loan and other financial assistance towards meeting the cost of the project, certified by a Director of the company.
- (f) Copy of the audited balance-sheet for last 3 years. (in case of expansion project)
- (g) A list of plant and machinery required for the project (with value)
- (h) Statement in respect of requirement of raw material for the project (including names and quantity required per annum).
- (i) Existing manufacturing activities in Madhya Pradesh stating items, annual approved capacity, annual installed capacity, annual production during last three years (in quantity & value in Rs.lakhs)
- (j) Copy of the MPCT/VAT & CST Registrations issued by Commercial Tax Department.

- (k) Copy of Resolution passed by Board of Directors to establish new unit or Start expansion/diversification /technology of upgradation in the established unit and for assigning the powers to signature authority.

M. P. TRADE AND INVESTMENT FACILITATION CORPORATION LIMITED
(Government of Madhya Pradesh Undertaking)
SECRETARIAT FOR SINGLE WINDOW SYSTEM
“AVN Tower” Mezzanine Floor, 192, Zone – I, M P Nagar, Bhopal- 462 011

**CERTIFICATE OF REGISTRATION UNDER MADHYA PRADESH UDYOG
NIVESH SAMVARDHAN SAHAYATA YOJANA 2004**

Name of District	Category of District	Date of receipt of applicatin	Registration No. Under Udyog Nivesh Samvardhan Sahayata Yojana 2004	Date of Registration	Project Status certificate is for	
					New	Expansion/ Diversification/Tech. up gradation

1. Name of the Unit :
2. Location of the unit :
3. Item of Manufacture :

Name of Product	Annual Capacity			
	For New Unit	For Existing Units		
		Existing	Expansion/Diversification/Tech. Upgradation	Total Capacity

4. Total Proposed Investment in the unit :
5. Provisional/Permanent SSI Regn.No./ IEM/LI/IL/Any Other Regn.No. :
6. (a) MP Commercial Tax Act 1994 Regn. No. :
- (b) Central Sales Tax Act 1956 Regn. No. :
- a) It may please be noted that the registration of the proposal does not necessary constitute acceptance or recognition of any of the facts stated therein and the claim under Madhya Pradesh Udyog Nivesh Samvardhan Sahayata Yojana 2004 when preferred, will be considered as per rules in force.
- b) This certificate is being issued subject to the condition that item of manufacture mentioned above does not fall in the list of ineligible industries under the scheme being issued by the State Govt. If item of manufacture includes in the said list this registration certificate would be cancelled.

MANAGING DIRECTOR
M P TRIFAC

Copy to:

1. Unit M/s.
2. Commercial Tax Officer,
3. General Manager, DTIC,
4. Dy. Commissioner, Commercial Tax Division
5. Industries Commissioner (FA Section), Vindhyachal Bhawan, Bhopal

MANAGING DIRECTOR
M P TRIFAC

Revised Form No. 3

Format for application for issuing a Certificate showing the Sales Tax paid by the Unit during the year, for which the Certificate is being issued.

From:(Name of the unit)
..... (Address)

To,

The Commercial Tax Officer,
Madhya Pradesh, District
(M.P.)

Sir,

I request you to issue a Certificate to the General Manager, District Trade and Industries Centre, and Managing Director, M.P. Trade & Investment Facilitation Corporation Ltd., Bhopal, under Madhya Pradesh Udyog Nivesh Samvardhan Sahayata Yojana 2004 in revised form 4.

1. Name of the unit/dealer and address
.....
2. Project status for New unit / Expansion
/ Diversification /
Tech.upgradation.
3. Registration No. of the
dealer under the M.P. Commercial
Tax Act, 1994/VAT Act 2002 &
Central Sales Tax Act, 1956.
(whether the goods shown in column
No. 5 are specified in the registration
Certificate)
4. Registration No. & date of the dealer
issued by Managing Director
M P Trade & Investment Facilitation
Corporation Ltd., Bhopal under Udyog
Nivesh Samvardhan Sahayata Yojana 2004
5. Items of manufacture/annual capacity/actual sales/actual tax paid (for which
assistance is sought)

- (i) For New Units (for the claimed Year.....) (Tax paid on sales of items in which tax paid on raw material purchased is not included)

No.	Name of Item	Annual Capacity	Actual Sales in year.....		Actual & Assesed Tax Amount Paid (MPCT/VAT+ CST) in which tax paid on raw material purchased is not included in year.....		
			Quantity	Amount (Rs.in lakh)	MPCT/ VAT	CST	Total

- (ii) In case of expansion/diversification/ technology upgradation

- (a) Determination of Average Production of last 3 years. (refer 3.8.2 & 3.8.2 (ब))

No.	Name of Item	Existing annual capacity	Production of last 1 st year		Production of last 2 nd year		Production of last 3 rd year		Average Production of last 3 years	
			Qty.	Amt.	Qty.	Amt.	Qty.	Amt.	Qty.	Amt.

- (b) Production (for the claimed year

No.	Name of Item	Existing Annual Capacity or Average Production of last 3 years, which ever is more refer Rule 3.8.2 & 3.8.2 (ब)	Additional/ New Capacity for expansion/ Diversification/ Technology Upgradation	Total Annual Capacity	Actual Production in the year.....					
					Existing/ Average capacity		Additional / New capacity		Total	
					Qty.	Amt.	Qty.	Amt.	Qty.	Amt.

- (c) Tax paid on sales of goods (for the claimed year.....) in which tax paid on raw material purchased is not included

No	Name of the Item	Tax paid on sales of Existing/ Average capacity in the year in which tax paid on raw material purchased is not included	Tax paid on sales of Additional/New capacity for Expansion/ diversification/ Tech.upgradation in the year in which tax paid on raw material purchased is not included	Total Tax paid in the year..... in which tax paid on raw material purchased is not included

		MPCT/ VAT	CST	Total	MPCT/ VAT	CST	Total	MPCT/ VAT	CST	Total

6.(a) Tax paid on sales of goods under the M.P. Commercial Tax Act, 1994 /M.P. VAT Act 2002 for the year, in which tax paid on raw material purchased is not included : Rs. (in words)

(b) Central Sales Tax paid under CST Act 1956 on sales of Inter State trade or commerce made from M.P. for the year..... in which tax paid on raw material purchased is not included : Rs. (in words)

(c) Total Tax (a) + (b) paid for the year : Rs.(in figure).....
Rs. (in words)

7. Name of the Bank and its branch with Bank account No.& challan No. through the payment was made.

8. Total Udyog Nivesh Samvardhan Sahayata taken upto the date of this application by the unit.

(A) Eligible fixed investment - Amount in Rs.....

(B) Amount of assistance taken by the unit upto date of this application - Amount in Rs.....

(C) Amount to be sanction in current year under MPIIPAS (50% or 75% of tax deposited by unit) - Amount in Rs.....

(D) Remaining balance amount of Udyog Nivesh Samvardhan Sahayata = [A – (B + C)] - Amount in Rs.....

I duly verify that all the facts and figures furnished above are correct.

Signature.....

Name & Status of the Applicant in the unit

Copy to :

1. Managing Director, M P Trade & Investment Facilitation Corpn. Ltd., "AVN Tower", 192, Zone-I, M.P. Nagar, Bhopal - for necessary action please.
2. General Manager, District Trade & Industries Centre- for necessary action please.
3. Dy. Commissioner, Commercial Tax Division.....

Signature

Name & Status of the Applicant in the unit

.....

कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी

जिला.....

क्रमांक.....

दिनांक

प्रति,

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
जिला.....

विषय:- औद्योगिक इकाई मेसर्स.....
के वर्ष में जमा कर राशि की पुष्टि बाबत ।

औद्योगिक इकाई मेसर्सके
संबंध में निम्न तथ्यों का सत्यापन किया जाता है :-

1. इकाई का नाम व पता :-
2. म.प्र. वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 /
मूल्य संवर्द्धन कर अधिनियम 2002 के
अन्तर्गत पंजीयन क्रमांक :-
3. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के
अन्तर्गत पंजीयन क्रमांक :-
4. उक्त दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत
वस्तुएं :-
5. म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन पंजीयन क्र.

कार्पोरेशन लि. द्वारा जारी पंजीयन क्र.

दिनांक

एवं दिनांक एवं दर्ज उत्पादित होने वाली वस्तुओं का ब्यौरा

क्र.	वस्तु का नाम	वार्षिक क्षमता			
		नवीन इकाई	विस्तारित इकाई		
			स्थापित	विस्तारित	कुल

6. वर्ष में इकाई द्वारा मध्य प्रदेश में उत्पादित किये गये वस्तुओं के विक्रय पश्चात् जमा की गयी राशि, जिसका वाणिज्यिक कर/मूल्य संवर्द्धन कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर राशि का असेसमेंट इस विभाग द्वारा किया जा चुका है। (सहायता के प्रथम वर्ष के लिये कर निर्धारण सत्यापन आवश्यक नहीं है।)

6.1 नवीन स्थापित इकाई के लिये :- वर्ष में उत्पादित माल का विक्रय एवं मध्यप्रदेश में हुए विक्रय के विरुद्ध जमा कर राशि, जिसमें कच्चेमाल के क्रय के लिये चुकाए गये कर की राशि सम्मिलित नहीं है :-

क्र.	उत्पाद का नाम	वार्षिक क्षमता (जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी स्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र/उत्पादन क्षमता प्रमाण पत्र अनुसार)	वर्ष में किया गया विक्रय		वास्तविक कर राशि जिसका कर निर्धारण हो चुका है एवं जिसमें क्रय किये गये कच्चेमाल के चुकाए गए कर की राशि सम्मिलित नहीं है (राशि पूर्ण रूपों में)		
			मात्रा	राशि	MPCT/VAT	CST	कुल राशि

6.2 विस्तार/शवलीकरण/तकनीकी उन्नयन इकाई के लिये :-

अ) विगत 3 वर्षों के औसत उत्पादन का निर्धारण (नियम 3.8.2 (ब) अनुसार)

क्र.	उत्पाद का नाम	स्थापित वार्षिक उत्पादन क्षमता (जिला व्यापार	विगत प्रथम वर्ष में उत्पादन	विगत द्वितीय वर्ष में उत्पादन	विगत तृतीय वर्ष में उत्पादन	विगत तीन वर्षों में औसत उत्पादन

		एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी स्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र/उत्पादन क्षमता प्रमाण पत्र अनुसार)	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि

ब) इकाई द्वारा वर्ष में किया गया वास्तविक उत्पादन

क्र.	उत्पाद का नाम	स्थापित वार्षिक उत्पादन क्षमता अथवा विगत 3 वर्षों का औसत उत्पादन जो भी अधिक हो नियम 3.8.2 एवं 3.8.2 (ब) अनुसार	अतिरिक्त विस्तार / शवलीकरण / तकनीकी उन्नयन की क्षमता	कुल वार्षिक क्षमता	वर्ष में किया गया वास्तविक उत्पादन						
					स्थापित / औसत उत्पादन		अतिरिक्त क्षमता का उत्पादन		कुल उत्पादन		
					मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	

स) विस्तार/शवलीकरण/तकनीकी उन्नयन इकाई के लिये वर्ष में माल का विक्रय एवं मध्यप्रदेश में हुए विक्रय के विरुद्ध जमा कर राशि जिसमें कच्चेमाल के क्रय के लिये चुकाए गये कर की राशि सम्मिलित नहीं है :-

क्र.	उत्पाद का नाम	स्थापित उत्पादन क्षमता / औसत उत्पादन क्षमता के लिये वर्ष में चुकाया गया कर, जिसमें कच्चेमाल के क्रय पर चुकाया गया कर सम्मिलित नहीं है			अतिरिक्त विस्तार / शवलीकरण / तकनीकी उन्नयन की क्षमता के उत्पादित माल के वर्ष में विक्रय माल का चुकाया गया कर जिसमें कच्चेमाल के क्रय पर चुकाया गया कर सम्मिलित नहीं है			वर्ष में कुल चुकाया गया कर जिसमें कच्चेमाल के क्रय पर चुकाया गया कर सम्मिलित नहीं है		
		MPCT/ VAT	CST	Total	MPCT/ VAT	CST	Total	MPCT/ VAT	CST	Total

7- bdkbZ ds }kjk e;/izns'k V³sM .,M bUosLVesaV QsflfyVs'ku dkiksZjs'ku fy-] Hkksiky }kjk tkjh iath;u izek.k i= ds vuqØe esa o"KZ ----- rd izkIrfuos'k lao)Zu lgk;rk dh dqy jkf'k dk fooj.k &

(i)	bdkbZ ds LFkbbZ iwath os"Bu vuqIjk ;kstukarxZr ekU; iwath fuos'k	रु.
(ii)	;kstukarxZr iwoZ esa izkIrfuos'k	रु.

(iii)	pkyw o"kZ esa bdkbZ ;kjk tek dqy dj jkf'k ds fo:) ;kstukarxZr pkggh xbZ lgk;rk jkf'k ¼50 izfr'kr vFkok 75 izfr'kr½	रु.
(iv)	उद्योग निवेश संवर्द्धन सहायता योजनांतर्गत इकाई के लिये शेष उपलब्ध सहायता राशि {(i) – [(ii) + (iii)]}	रु.

(हस्ताक्षर)

वाणिज्यिक कर अधिकारी

जिला.....

प्रतिलिपि:—

1½ izca/k lapkyd] e-iz- V^asM ,.M bUosLVesaV QsflfyVs'ku dkiksZjs'ku fyfe- 192] , -Ogh-,u- VkWoj] tksu&1] ,e-ih- uxj] Hkksiky dh vksj lwpukFkZ A

- 2) आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3) उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, संभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4) इकाई मेसर्सकी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वाणिज्यिक कर अधिकारी

जिला

Application form for Receiving assistance under

Madhya Pradesh Udyog Nivesh Samvardhan Sahayata Yojana 2004

(To be submitted in duplicate)

1. (a) Name of the applicant :
Industrial Unit :
- (b) Factory Address :
Telephone No. :
Fax No. :
e-mail address :
- (c) Address of the Registered Office :
Telephone No. :
Fax No. :
e-mail address :
- (d) Name and Designation of the :
contact person :
Telephone No. :
Fax No. :
e-mail Address :
- (e) Details of Fixed Assets/Property :
(Please write address specifically of
property location or enclose a
separate sheet)
- (i) Assets/property in the name of :
Company/Firm.
- (ii) Assets/property in the name of :
directors/Partners of Company/Firm
2. Whether the Project (against which the application for receiving assistance is
being made) is for (Please write specifically)
- (a) Establishment of a new unit :
- (b) Expansion project in the :
existing unit (expansion/
diversification/technology
upgradation

- (c) Expansion project in a new location :
3. (a) Constitution :
Public Ltd./ Private Ltd.Co
/Co-operative Society /Partnership Firm
- (b) Date of incorporation/Registration of the Company/Co-operative Society :
4. Location/address of the unit :
- (A) Location of the project against which the grant is sought
Name of the Location :
Police Station :
Municipality/Block :
Post Office :
District :
Telephone No. :
Fax No. :
- (B) Location of other units(if any) in Madhya Pradesh
Location :
District :
Location :
District :
Location :
District :
5. (A) Provisional SSI Registration No. & Date :
(B) Permanent SSI Registration No. & Date :
6. Number and date of IEM issued by Govt. of India :
Secretariat for Industrial Approval ./
Letter of intent/Industrial Licence/Other approval.
7. Power load installed & date of power connection :
8. Employment Potential in the project

No.	Particular	With in MP	Out of MP	Total
-----	------------	------------	-----------	-------

1.	Managerial			
2.	Factory workers			
3.	Other workers			
4.	Total			

9. Whether the location conforms to :
Pollution Control Board norms
If yes , write consent No. and date
(a) Under air pollution act
(b) Under water pollution act
10. Daily requirement of water :
and source of supply
11. Registration No. of the
dealer under the M.P. Commercial
Tax Act, 1994/VAT Act 2002 &
Central Sales Tax Act, 1956.
(whether the goods shown in column
No. 6.1 & 6.2 are specified in the
registration certificate)
12. Registration No. & date of the dealer
issued by Managing Director
M P Trade & Investment Facilitation
Corporation Ltd., Bhopal under Udyog
Nivesh Samvardhan Sahayata Yojana 2004
13. Date of commissioning of the commercial production in original unit/date of
commissioning of the commercial production in expansion/diversification/
Tech.upgradation.
14. Project Cost / Eligible Investment (Upto the date of commencement of
Commercial Production)

14.1(A) For New Units (Please furnish original certificate from Chartered Accountant)

Particulars	Investment made as on date of commencement of commercial production	Investment made in 3 years from the date of commencement of Commercial Production as on	Total Investment after 3 years
-------------	---	---	-----------------------------------

Land			
Site development (10% of cost of land & Building)			
Building			
Plant and machinery			
Electrical Installation			
Pollution Control Equipments			
Misc.fixed assets			
Total			
Preliminary and preoperative expenses			
Grand Total			

14.1(B) Means of finance (Please furnish certificate from Chartered Accountant)

Particulars	Amount
Share capital/own funds	
Terms Loan from Financial Institutions/Banks	
Unsecured Loans	
Other (if any)	
Total	

14.2(A) For Expansion/Diversification/Technology Upgradation Scheme: (Please furnish certificate from Chartered Accountant) (Upto the date of commencement of Commercial Production)

Particulars	Original Investment as on Dt. Please	Actual Investment as on date of production commenced in Expansion/Diversification /Technology Upgradation	Total Investment	Investment made in 3 years from the date of commencement	Total Investment after 3 years

	refer rule 3.8.1 (a)	Expn.	Divr.	Tech.up		of Commercial Production in Expan./ Divr./ Tech. up/ capacity as on	
Land							
Site development (10% of cost of Land & Building)							
Building							
Plant and machinery							
Electrical Installation							
Pollution Control Equipments							
Investment in Technology Upgradation							
Misc.fixed assets							
Total							
Preliminary and preoperative expenses							
Grand Total							

14.2.(B) Means of Finance (Please furnish certificate from Chartered Accountant)

Particular	Amount
Share capital/Own funds	
Term Loan from Financial Institutions/Banks	
Unsecured Loans	
Other (if any)	
Total	

15. Items of manufacture/annual capacity/actual sales/actual tax paid (for which assistance is sought)

15.1 For New Units (for the claimed Year.....) (Tax paid on sales of items in which tax paid on raw material purchased is not included)

No.	Name of Item	Annual Capacity	Actual Sales in year.....		Actual & Assesed Tax Amount Paid (MPCT/VAT+ CST) in which tax paid on raw material purchased is not included in year.....		
			Quantity	Amount	MPCT/ VAT	CST	Total

15.2 In case of expansion/diversification/ technology upgradation

(A) Determination of Average Production of last 3 years. (refer 3.8.2 (ब))

No.	Name of Item	Existing annual capacity	Production of last 1 st year		Production of last 2 nd year		Production of last 3 rd year		Average Production of last 3 years	
			Qty.	Amt.	Qty.	Amt.	Qty.	Amt.	Qty.	Amt.

(B) Production (for the claimed year

No.	Name of Item	Existing Annual Capacity or Average Production of last 3 years, which ever is more refer Rule 3.8.2 (ब)	Additional/ New Capacity for expansion/ Diversification/ Technology Upgradation	Total Annual Capacity	Actual Production in the year.....					
					Existing/ Average capacity		Additional / New capacity		Total	
					Qty.	Amt.	Qty.	Amt.	Qty.	Amt.

(B) Tax paid on sales of goods (for the claimed year.....) in which tax paid on raw material purchased is not included

No	Name of the Item	Tax paid on sales of Existing/ Average capacity in the year in which tax paid on raw material purchased is not included			Tax paid on sales of Additional/New capacity for Expansion/ diversification/ Tech. upgradation in the year in which tax paid on raw material purchased is not included			Total Tax paid in the year..... in which tax paid on raw material purchased is not included		
		MPCT/ VAT	CST	Total	MPCT/ VAT	CST	Total	MPCT/ VAT	CST	Total

16.(a) Tax paid on sales of goods under the M.P.CT Act, 1994/MPVAT Act 2002 for the yearin which tax paid on rawmaterial purchased is not included. : Rs. (in words)

(b) Central Sales Tax paid under CST Act 1956 on sales of goods of Inter State trade or commerce made from M.P. for the year..... in which tax paid on raw material purchased is not included. : Rs. (in words)

(c) Total Tax (a) + (b) paid for the year in which tax paid on rawmaterial purchased is not included. : Rs.(in figure).....
Rs. (in words)

17. Name of the Bank and it's branch with Bank account No. & Challan No. throughthe payment was made to Commercial Tax Department.

18. Total Udyog Nivesh Samvardhan Sahayata taken upto the date of this application by the unit.

- (A) Eligible fixed investment - Amount in Rs.....
- (B) Amount of assistance taken by the unit upto date of this application - Amount in Rs.....
- (C) Remaining balance amount of Udyog Nivesh Samvardhan Sahayata (A – B) - Amount in Rs.....

CERTIFIED that the statement in the application are true to the best of my knowledge and belief.

Signature of the applicant

Name and Status of the Signatory

Place:

Seal of the Industrial unit.

Date:

Annexures

- (a) A copy of the Registration with Memorandum and Articles of Association issued by the Registrar of Companies.
- (b) A Statement of the Name and Residence Address of the Director/partners/owners of the company, including telephone no., fax no. & e-mail addresses.
- (c) A copy of the Acknowledgement Reference No. by SIA/Letter of intent/Industrial licence/other Government of India approval/SSI Registration No.
- (d) A Project report- including pollution control measures envisaged, from the second year claim project report does not require.
- (e) Photocopy of sanction letter from the Central Financial Institution/State Financial Institution etc. sanctioning loan and other financial assistance towards meeting the cost of the project, certified by a Director of the company.
- (f) Copy of the audited balance-sheet for last 3 years. (in case of expansion project)
- (g) A list of plant and machinery installed in the project (List included columns – name of machine – quantity – name of supplier – bill no. – date of purchase – value in Rs.)
- (h) Statement in respect of raw material consumed in the claimed year. (List included columns – name – quantity – bill no. of supplier – date of bill – purchase value).
- (i) Existing manufacturing activities in Madhya Pradesh stating items, annual approved capacity, annual installed capacity, annual production during last three years (in quantity & value in Rs.).

- (j) List of sales of finish goods manufactured by the unit in the claimed year. (List included columns – name – quantity – invoice no. – date of invoice – total sale value – tax (MPCT / VAT & CST) amount – net sale value).
 - (k) Copy of the MPCT/VAT & CST Registrations issued by Commercial Tax Department.
 - (l) Copy of Resolution passed by Board of Directors for assigning the powers to Authorized Signatory.
-

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER
District Trade & Industries Centre
District, Madhya Pradesh

No.

Date

SANCTION ORDER

In pursuance of the decision taken by the District Level Industrial Investment Promotion Assistance Committee in its meeting No. held on, an amount of Rs. (in words) Rupees is hereby sanctioned as an Industrial Investment Promotion Assistance (IIPA); under the Madhya Pradesh Industrial Investment Promotion Assistance Scheme – 2004 (MPIIPAS) to M/s; hereinafter called Assistance Receiver, for the period, subject to the conditions and particulars mentioned here under :-

Particulars

1.	Name of the unit	:	
2.	Location of industry	:	
3.	Category of the District	:	
4.	Registration Numbers		
	a) under MPIIPAS – 2004	:	
	b) under MPCT/VAT Act	:	
	c) under CST Act		
	d) Permanent SSI Registration / IEM No. & Date	:	

5.	Date of commencement of commercial production	:	
6.	Eligible period for assistance	:	
7.	Maximum amount of assistance (IIPA) permissible i.e. total eligible investment	:	Rs.
8.	Amount of Tax deposited during the period	:	Rs.
9.	Eligible percentage of MPCT / VAT & CST deposited by the unit for calculation of assistance	:	
10.	Amount sanctioned under MPIIPAS		
	a) Amount sanctioned till previous year	:	Rs.
	b) Amount sanctioned for the period vide this order	:	Rs.
	c) Total sanctioned amount	:	Rs.
11.	Maximum remaining eligible amount for assistance [7 – 10(c)]	:	Rs.

Conditions :

1. that the Assistance Receiver shall execute an agreement with the State Government or with their Authorized Representative; hereinafter called Assistance Provider, in the enclosed format No. 7 with in 30 days of the issue of this order on the required stamp paper.
2. that the Assistance Receiver binds himself with the provisions, terms, conditions of the scheme and of the said agreement.
3. that the cheque/cheques towards the amount sanctioned through this order would be issued in the favour of Commercial Tax Officer District and an deposition would be treated as an advance tax deposited by Assistance Receiver for the particulars stated above. Thus, the amount receiver

acknowledges the receipt of Industrial Promotion Assistance from the Assistance Provider.

4. that the assistance may have to be released in installments keeping in view of the budget constraints or any other reason and for that no interest would be leviable.
5. that the said cheque/cheques would be sent to the concerned Commercial Tax Officer through a covering letter addressed to him; however the same would be delivered to the Assistance Receiver/ his Authorized Representative for timely delivery to the concerned officer. It shall be the responsibility of the amount receiver to arrange the receipt of same from concerned officer and to get it delivered to Assistance Provider with in 15 days.

**General Manager
District Trade & Industries Centre.....**

No.

Date

Copy to :

1. Industries Commissioner, Directorate of Industries, Bhopal
2. Commissioner, Commercial Tax, Indore
3. Managing Director, M.P. Trade & Investment Facilitation Corporation Ltd.,
“AVN Tower”, Mezzanine Floor, 192, Zone – I, M.P. Nagar. Bhopal – 462011.
4. Deputy Commissioner, Commercial Tax Division
5. Commercial Tax Officer, Distt.
6. M/s (Assistance Receiver)

for information and necessary action.

**General Manager
District Trade & Industries Centre.....**

M.P. TRADE & INVESTMENT FACILITATION CORPORATION LIMITED
(Government of Madhya Pradesh Undertaking)

AVN Tower”, Mezzanine Floor, 192, Zone – I, M.P. Nagar. Bhopal – 462011

No.

Date

SANCTION ORDER

In pursuance of the decision taken by the State Level Industrial Investment Promotion Assistance Committee in its meeting No. held on, an amount of Rs. (in words) Rupees is hereby sanctioned as an Industrial Investment Promotion Assistance (IIPA); under the Madhya Pradesh Industrial Investment Promotion Assistance Scheme – 2004 (MPIIPAS) to M/s; hereinafter called Assistance Receiver, for the period, subject to the conditions and particulars mentioned here under :-

Particulars

1.	Name of the unit	:	
2.	Location of industry	:	
3.	Category of the District	:	
4.	Registration Numbers		
	e) under MPIIPAS – 2004	:	
	f) under MPCT/VAT Act	:	
	g) under CST Act		
	h) Permanent SSI Registration / IEM No. & Date	:	

5.	Date of commencement of commercial production	:	
6.	Eligible period for assistance	:	
7.	Maximum amount of assistance (IIPA) permissible i.e. total eligible investment	:	Rs.
8.	Amount of Tax deposited during the period	:	Rs.
9.	Eligible percentage of MPCT / VAT & CST deposited by the unit for calculation of assistance	:	
10.	Amount sanctioned under MPIIPAS		
	d) Amount sanctioned till previous year	:	Rs.
	e) Amount sanctioned for the period vide this order	:	Rs.
	f) Total sanctioned amount	:	Rs.
11.	Maximum remaining eligible amount for assistance [7 – 10(c)]	:	Rs.

Conditions :

6. that the Assistance Receiver shall execute an agreement with the State Government or with their Authorized Representative; hereinafter called Assistance Provider, in the enclosed format No. 7 with in 30 days of the issue of this order on the required stamp paper.
7. that the Assistance Receiver binds himself with the provisions, terms, conditions of the scheme and of the said agreement.
8. that the cheque/cheques towards the amount sanctioned through this order would be issued in the favour of Commercial Tax Officer District and an deposition would be treated as an advance tax deposited by Assistance Receiver for the particulars stated above. Thus, the amount receiver

acknowledges the receipt of Industrial Promotion Assistance from the Assistance Provider.

9. that the assistance may have to be released in installments keeping in view of the budget constraints or any other reason and for that no interest would be leviable.
10. that the said cheque/cheques would be sent to the concerned Commercial Tax Officer through a covering letter addressed to him; however the same would be delivered to the Assistance Receiver/ his Authorized Representative for timely delivery to the concerned officer. It shall be the responsibility of the amount receiver to arrange the receipt of same from concerned officer and to get it delivered to Assistance Provider with in 15 days.

Managing Director
M.P. Trade & Investment Facilitation Corporation
Ltd., Bhopal

No.

Date

Copy to :

1. Industries Commissioner, Directorate of Industries, Bhopal
2. Commissioner, Commercial Tax, Indore
3. General Manager, District Trade & Industries Centre,
4. Deputy Commissioner, Commercial Tax Division
5. Commercial Tax Officer, Distt.
6. M/s (Assistance Receiver)

for information and necessary action.

Managing Director
M.P. Trade & Investment Facilitation Corporation
Ltd., Bhopal

**AGREEMENT REGARDING ASSISTNACE RECEIVED UNDER
UDYOG NIVESH SAMVARDHAN SAHAYATA YOJANA**

This agreement is made on this day of 200..... between the Governor of Madhya Pradesh, acting through the GENERAL MANAGER, DISTRICT TRADE & INDUSTRIES CENTRE / MANAGING DIRECTOR, MADHYA PRADESH TRADE AND INVESTMENT FACILITATION CORPORATION LIMITED, BHOPAL (herein after called the "Assistance Provider" which expression shall, where the context so admits include his successors in office) on the one part and Shri S/o Resident of in the tehsil of district on behalf of M/s..... (hereinafter called the "Assistance Receiver" which expression shall, where the context so admits include his heirs, administrators, representatives and assigns) on the other part.

WHEREAS the Assistance Provider has sanctioned assistance under Madhya Pradesh Industrial Investment Promotion Assistance Scheme 2004; hereinafter mentioned as MPIIPAS to the Assistance Receiver subject to the terms and conditions herein after mentioned:-

AND WHEREAS the Assistance Receiver accepted the above assistance under MPIIPAS on the terms and conditions herein after mentioned.

Now, therefore, the agreement witnesses and it is hereby agreed as follows:-

1. that this agreement shall always be subject to the terms and conditions and instructions of MPIIPAS.

2. That in pursuance of MPIIPAS the Assistance Provider has sanctioned an amount of Rs./- (in words Rs.) for the period as an assistance to Assistance Receiver vide sanction order No. dt.....
3. that this assistance is not be available in respect of the purchase tax on the raw material consumed or used, incidental goods used in manufacturing of goods in such industrial units and pakaging materials used in the packing of goods; manufactured in the industrial unit, and is available only on – 50% / 75% of tax deposited after the sales of the principal products manufactured in the said industrial unit and by-products, waste products obtained in the course of manufacture in such units in previous year.
4. (a) that if Assistance Receiver establishes a new industrial unit but closes down or deliberately reduces production substantially in an existing industrial unit within the state, engaged in production of the same product, the assistance shall be liable to be cancelled by the authority sanctioning and such cancellation shall take effect from the date on which such substantial reduction in production has taken place.

(b) that a substantial reduction in production shall be deemed to have occurred if the production of the same product has fallen below the level of the average production of the preceding 3 years of existing industrial unit.
5. Assistance Receiver confirms that in his claim the non eligible items as declared by the government with reference to this scheme have not been included.
6. that the Assistance Receiver shall maintain or cause to be maintained in good condition the premises, building, machinery, tools etc., described in the schedule attached and shall ensure the running of industrial unit not only during the eligibility period i.e. from the date up to date but also continue to do so for a period of five years from the date of expiry of the period of eligibility.

7. (a) The Assistance Receiver shall not change the location of the whole or part of the industrial unit or effect any substantial contraction or dispose off any substantial part of his total capital investment or effect any change in the ownership during the period for which assistance under MPIIPAS has been availed of and also within a period of five years from the date of expiry of the period of receiving the assistance without the prior permission of the Managing Director, Madhya Pradesh Trade & Investment Facilitation Corporation Limited, Bhopal in writing.

(b) that in case a change in ownership is permitted all the rights and liabilities under MPIIPAS shall pass on the new owner.
8. that the Assistance Receiver shall be bound to permit the Assistance Provider or any person deputed or authorized by general or special order in writing in this behalf by the Assistance Provider to inspect the Property (Premises, building, plants and machinery, tool etc.) and Books of Accounts & the industry business or enterprise.
9. that the Assistance Receiver shall maintain a ledger/Books of Accounts including details of materials purchased and products sold for which facility of receiving of Assistance under MPIIPAS has been availed of and shall furnish annual statement of production and sales to the General Manager, District Industries Centre and also to the appropriate Sales Tax Officer within 60 days from the close of the accounting year, for the eligibility period and thereafter another 5 years.
10. that the Assistance Receiver expressly agrees that the Assistance Provider has granted the said assistance under MPIIPAS relying on the statement made in the application dated for sanctioning the assistance and information furnished by the Assistance Receiver. The Assistance Receiver confirms that the information furnished by him are true to his knowledge and beliefs and no facts have been suppressed and has not been obtained by misrepresentation as to the essential facts or by furnishing false information. In case

after issue of sanction order under MPIIPAS or releasing the assistance, it is revealed that the assistance had been obtained by misrepresentation of facts or information, the amount of the assistance availed by the Assistance Receiver till date shall be recoverable from him at once together with penal interest at the rate of 24% per annum.

11. that on breach of any of the conditions of the agreement and of any condition of MPIIPAS, the amount of Assistance shall be recovered from the Assistance Receiver at once together with interest @ 24 per annum.
12. that any amount due under this agreement may be recovered from the Assistance Receiver as an arrear of land revenue.
13. that if any dispute arises between the parties hereto, in respect of this agreement or any of the provision herein contained or any thing arising here about, the same shall be referred to Principal Secretary / Secretary to the Government of Madhya Pradesh] Commerce, Industries & Employment Department for arbitration and whose decision thereon shall be final and binding on the parties.

In witness where of the parties here to have signed this agreement on the date and year written in each case.

Witness :

1.
2.

Assistance Provider

Managing Director, Madhya Pradesh
Trade and Investment Facilitation
Corporation Ltd., Bhopal /

General Manager, District Trade and
Industries Centre

On behalf of the Governor of
Madhya Pradesh
Name & Designation.

Witness :

1.

Assistance Receiver
Signature & Name
Date :

2.

(Scheduled attached as per conditions 4 of the agreement)

SCHEDULE

(As per condition No. 5)

The Assistance Receiver shall maintain or cause to be maintained in good condition the premises, building, machinery, tools etc., described in the schedule attached and shall ensure the running of industrial unit not only during the eligibility period i.e. from the date up to date but also continue to do so for a period of five years from the date of expiry of the period of eligibility.

1.	Land Location	Rs.
2.	Building Total Constructed Area	Rs.
3.	Plant & Machinery List enclosed	Rs.
4.	Pollution Control Equipments List enclosed	Rs.
5.	Miscellaneous fixed Assets List enclosed	Rs.
	Total	Rs.

Assistance Receiver

Signature, Name &
Address
Date :

Assistance Provider
Signature, Name &
Address
Date :